भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 311*

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष उपचार पद्धतियों का महत्व

*311. सुश्री महुआ मोईत्रा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में लोगों में स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीने के लिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के महत्व का प्रचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू आदि शहरों में सीजीएचएस के अंतर्गत सरकार से अनुमति प्राप्त निजी दिवसचर्या केंद्रों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त शहरों में सीजीएचएस में इन दिवसचर्या केंद्रों पर प्रतिबंध लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 21 मार्च, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 311* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): सरकार अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से देश के लोगों के बीच आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के महत्व का प्रचार करने में सफल रही है। आयुष स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आयुष मंत्रालय, आयुष में सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित करता है। इसका उद्देश्य पूरे देश में आबादी के सभी वर्गों तक पहुँचना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर आरोग्य मेलों, योग उत्सवों/महोत्सवों, आयुर्वेद पर्व आयोजित करता है, आयुष पद्धति के महत्वपूर्ण दिनों को मनाता है, स्वास्थ्य फेयर/मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेता है, सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मल्टीमीडिया अभियान आदि आयोजित करता है।

इसके अलावा, मंत्रालय देश में विभिन्न आयुष पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है और उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

(ख): वर्तमान में, निजी आयुष दिवसचर्या केंद्रों का पैनल दिल्ली/एनसीआर तक सीमित है। आज की तिथि तक, कुल 54 निजी आयुष दिवसचर्या केंद्र सीजीएचएस दिल्ली/एनसीआर के तहत सूचीबद्ध हैं।

(ग) और (घ): इन निजी दिवसचर्या केंद्रों को सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने के लिए सीमित नहीं रखा गया है।

*****